न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 151 / 2019

दयालाराम सैनी पुत्र श्री भोलाराम सैनी, नई सब्जी मण्डी, वार्ड नम्बर 7 वाया उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) उदयपुरवाटी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.10.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 151 / 2019 पर दिनांक 18.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2019 / 1339–40 दिनांक 18.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) झुंझुनू ने पत्रांक जेकेएसबी / फा. () / प्रशा. / 2019–20 / 2865 दिनांक 27.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सुनाओं के कम में आवश्यक पत्र बैंक पत्र कमांक 2645 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सुनाओं के कम में आवश्यक पत्र बैंक पत्र कमांक 2645 दिनांक 16.09. 2019 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू